<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, आंवला, जिला बरेली।</u>

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 741/2022

(CNR. No. UPBR120030302022)

सरकार बनाम ओमपाल आदि।

धारा- 323, 325, 504 भा.दं.सं.
मु.अ.सं. - 264/2021
थाना- सिरौली, जिला बरेली।

<u>दिनांक- 11.10.2022</u>

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अभियुक्त प्रदीप पुत्र राजकुमार की ओर से मु.अ.सं. 264/2021 थाना सिरौली, जिला बरेली, अंतर्गत धारा 323, 325, 504 भा.दं.सं. के प्रकरण में जमानत हेतु दिया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

अभियुक्त द्वारा स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण कर कथन किया गया है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त उपरोक्त पर धारा 323, 325, 504 भा.दं.सं. का अपराध कारित करने का अभियोग है। अभियुक्त द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उपरोक्त अपराध जमानतीय प्रकृति का है। अभियुक्त उचित जमानत देने को तैयार है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर जमानत का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त प्रदीप पुत्र राजकुमार को मुव० बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रथक प्रतिभू दाखिल करने पर मामले के गुण-दोष पर अभिमत व्यक्त किए बिना जमानत पर रिहा किया जाता है।

(अंकित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय
आंवला, बरेली।